

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/L.T./10/2025

देहरादून दिनांक-

10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लैब टैक्नीशियन संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री रजनीश मिश्रा	लैब टैक्नीशियन	जिला चिकि० नैनीताल	सामु०स्वा०के० रामगढ़, नैनीताल	जनहित

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)

प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/पैरा/L.T./10/2025

15779

तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाँऊ मण्डल नैनीताल।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल।
- 3- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकि० नैनीताल।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल।
- 5- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 6- गार्ड फाईल।

N.

(अनिल कुमार सिंह)

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/L.T./10/2025

देहरादून दिनांक-

जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लैब टैक्नीशियन संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० स०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती कुसुम रावत	लैब टैक्नीशियन	जिला चिकि० देहरादून	जिला चिकि० रूद्रप्रयाग	जनहित

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)

प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/पैरा/L.T./10/2025

15776

तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून/रूद्रप्रयाग।
- 3- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकि० देहरादून/जिला चिकि० रूद्रप्रयाग।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/रूद्रप्रयाग।
- 5- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 6- गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/L.T./10/2025

देहरादून दिनांक-

10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लैब टैक्नीशियन संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री नरेन्द्र पाल	लैब टैक्नीशियन	प्रा०स्वा०के० मखदूमपुर, हरिद्वार	सामु०स्वा०के० खाड़ी टिहरी	जनहित

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)

प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/पैरा/L.T./10/2025

15781

तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हरिद्वार/टिहरी।
- 3- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार/टिहरी।
- 4- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 5- गार्ड फाईल।

M

(अनिल कुमार सिंह)

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/L.T./10/2025

देहरादून दिनांक-

18 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लैब टैक्नीशियन संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० स०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री किशोर बिष्ट	लैब टैक्नीशियन	सामु0स्वा0के0 दुगडडा, पौड़ी	सामु0स्वा0के0 रिखण्डीखाल, पौड़ी	जनहित

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)

प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/पैरा/L.T./10/2025 15783

तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पौड़ी।
- 3- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पौड़ी।
- 4- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 5- गार्ड फाईल।

N

(अनिल कुमार सिंह)

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/L.T./10/2025

देहरादून दिनांक-

10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/xxxvi(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/xxx-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/xxx (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/xxx (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लैब टैक्नीशियन संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री आशीष चन्द्र किमोठी	लैब टैक्नीशियन	जिला मलेरिया अधिकारी देहरादून	उप जिला चिकि० कर्णप्रयाग, चमोली	जनहित

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)

प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/पैरा/L.T./10/2025

15785

तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून/ चमोली।
- 3- जिला मलेरिया अधिकारी, देहरादून।
- 4- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकि० कर्णप्रयाग, चमोली।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/चमोली।
- 5- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 6- गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/L.T./10/2025

देहरादून दिनांक-

10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लैब टैक्नीशियन संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० स०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	अजय कुमार मौर्य	लैब टैक्नीशियन	सामु0स्वा0के0 मंगलौर, हरिद्वार	सामु0स्वा0के0 अगस्त्यमुनी, रुद्रप्रयाग	जनहित

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)

प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/पैरा/L.T./10/2025

15787

तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हरिद्वार/रुद्रप्रयाग।
- 3- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार/रुद्रप्रयाग।
- 4- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 5- गार्ड फाईल।

N

(अनिल कुमार सिंह)

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/L.T./10/2025

देहरादून दिनांक-

10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लैब टैक्नीशियन संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० स०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री बसन्त बल्लब लोहनी	लैब टैक्नीशियन	प्रा०स्वा०के० लालकुआँ, नैनीताल	उप जिला चिकि० रानीखेत, अल्मोडा	जनहित

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)

प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/पैरा/L.T./10/2025

15789

तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाँऊ मण्डल नैनीताल।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल/अल्मोडा।
- 3- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकि० रानीखेत, अल्मोडा।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल/अल्मोडा।
- 5- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 6- गार्ड फाईल।

M

(अनिल कुमार सिंह)

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/L.T./10/2025

देहरादून दिनांक-

जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लैब टैक्नीशियन संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० स०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती सरिता बिजल्पाण	लैब टैक्नीशियन	उप जिला चिकि० प्रेमनगर, देहरादून	जिला चिकि० पौड़ी	जनहित

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)

प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/पैरा/L.T./10/2025 15791 तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून/ पौड़ी।
- 3- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकि० प्रेमनगर, देहरादून/जिला चिकि० पौड़ी।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/पौड़ी।
- 5- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 6- गार्ड फाईल।

AK

(अनिल कुमार सिंह)

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/L.T./10/2025

देहरादून दिनांक-

16 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/xxxvi(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/xxx-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/xxx (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/xxx (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लैब टैक्नीशियन संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० स०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री गजेन्द्र मनवाल	लैब टैक्नीशियन	उप जिला चिकि० ऋषिकेश, देहरादून	अधीन मु०चिकि०अ० टिहरी, प्रा०स्वा०के० डोबरा टिहरी	जनहित

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)

प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/पैरा/L.T./10/2025

15793

तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून/ टिहरी।
- 3- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकि० ऋषिकेश, देहरादून।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/टिहरी।
- 5- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 6- गार्ड फाईल।

M

(अनिल कुमार सिंह)

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/L.T./10/2025

देहरादून दिनांक-

10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/xxxvi(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/xxx-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/xxx (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/xxx (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लैब टैक्नीशियन संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० स०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री प्रकाश सिंह	लैब टैक्नीशियन	सामु०स्वा०के० लक्सर, हरिद्वार	सामु०स्वा०के० जोशीमठ, चमोली	जनहित

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)

प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/पैरा/L.T./10/2025

15795

तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हरिद्वार/ चमोली।
- 3- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार/चमोली।
- 4- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 5- गार्ड फाईल।

16

(अनिल कुमार सिंह)

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/L.T./10/2025

देहरादून दिनांक-

10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/xxxvi(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/xxx-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/xxx (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/xxx (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लैब टैक्नीशियन संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० स०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री महावीर सिंह	लैब टैक्नीशियन	जिला चिकि० हरिद्वार	सामु०स्वा०के० जहरीखाल, पौड़ी	जनहित

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)

प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/पैरा/L.T./10/2025

15797

तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हरिद्वार/पौड़ी
- 3- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकि० हरिद्वार।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार/पौड़ी।
- 5- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 6- गार्ड फाईल।

N

(अनिल कुमार सिंह)

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/L.T./10/2025

देहरादून दिनांक-

15 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लैब टैक्नीशियन संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री कुवेर सिंह	लैब टैक्नीशियन	टी0बी0 क्लीनिक हल्द्वानी, नैनीताल	सामु0स्वा0केन्द्र, लमगड़ा अल्मोड़ा	जनहित

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पत्रिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)

प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/पैरा/L.T./10/2025

15799

तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल/अल्मोड़ा।
- 3- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल/अल्मोड़ा।
- 4- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 5- गार्ड फाईल।

N

(अनिल कुमार सिंह)

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/L.T./10/2025

देहरादून दिनांक-

10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लैब टैक्नीशियन संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० स०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती मीनाक्षी	लैब टैक्नीशियन	जिला चिकि० देहरादून	सामु०स्वा०के० फकोट, टिहरी	जनहित

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)

प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/पैरा/L.T./10/2025 115801

तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून/टिहरी।
- 3- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकि० देहरादून।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/टिहरी।
- 5- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 6- गार्ड फाईल।

AK

(अनिल कुमार सिंह)

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/L.T./10/2025

देहरादून दिनांक-

16 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लैब टैक्नीशियन संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० स०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री प्रभाकर सिंह	लैब टैक्नीशियन	सामु0स्वा0के0 गदरपुर, ऊधमसिंह नगर	जिला चिकि0 चम्पावत	जनहित

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)

प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/पैरा/L.T./10/2025

15803

तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाँऊ मण्डल नैनीताल।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, ऊधमसिंह नगर/चम्पावत।
- 3- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकि0 चम्पावत।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, ऊधमसिंह नगर/चम्पावत।
- 5- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 6- गार्ड फाईल।

N

(अनिल कुमार सिंह)

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/L.T./10/2025

देहरादून दिनांक-

16 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लैब टैक्नीशियन संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० स०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती रुचि डोमाल	लैब टैक्नीशियन	उप जिला चिकि० ऋषिकेश, देहरादून	सामु०स्वा०के० घण्डियाल, पौड़ी	जनहित

- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)

प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/पैरा/L.T./10/2025

15805

तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून/पौड़ी।
- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकि० ऋषिकेश, देहरादून।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/पौड़ी।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

AK

(अनिल कुमार सिंह)

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/L.T./10/2025

देहरादून दिनांक-

10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लैब टैक्नीशियन संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० स०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री कुलदीप भण्डारी	लैब टैक्नीशियन	सामु0स्वा0के0 रायपुर, देहरादून	अधीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी, टिहरी दुर्गम स्थान	जनहित

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)

प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/पैरा/L.T./10/2025

15807

तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून/टिहरी।
- 3- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/टिहरी।
- 4- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 5- गार्ड फाईल।

M

(अनिल कुमार सिंह)

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/L.T./10/2025

देहरादून दिनांक-

16 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लैब टैक्नीशियन संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० स०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री संजय सिंह पयाल	लैब टैक्नीशियन	जिला क्षयरोग चिकि० नरेन्द्र नगर टिहरी	सामु०स्वा०के० जखोली, रुद्रप्रयाग	जनहित

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)

प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/पैरा/L.T./10/2025

15809

तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, टिहरी/रुद्रप्रयाग।
- 3- जिला क्षयरोग नियंत्रण अधिकारी, नरेन्द्र नगर, टिहरी।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, टिहरी/रुद्रप्रयाग।
- 5- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 6- गार्ड फाईल।

N

(अनिल कुमार सिंह)

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/L.T./10/2025

देहरादून दिनांक-

10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लैब टैक्नीशियन संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० स०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री सुरेन्द्र कुमार गुप्ता	लैब टैक्नीशियन	जिला कुष्ठ अधिकारी ऊधमसिंह नगर	जिला चिकि० पिथौरागढ़	जनहित

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)

प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/पैरा/L.T./10/2025

15811

तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमौऊ मण्डल नैनीताल।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, ऊधमसिंह नगर/पिथौरागढ़।
- 3- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकि० पिथौरागढ़।
- 4- जिला कुष्ठ अधिकारी, उधमसिंह नगर।
- 5- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, ऊधमसिंह नगर/पिथौरागढ़।
- 6- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 7- गार्ड फाईल।

N

(अनिल कुमार सिंह)

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/L.T./10/2025

देहरादून दिनांक-

10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लैब टैक्नीशियन संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० स०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री गुंजन पंत	लैब टैक्नीशियन	जिला चिकि० नैनीताल	सामु०स्वा०के० ओखलकाण्डा, नैनीताल	जनहित

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)

प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/पैरा/L.T./10/2025

15/8/25

तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुर्माऊ मण्डल नैनीताल।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल।
- 3- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकि० नैनीताल।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल।
- 5- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 6- गार्ड फाईल।

N

(अनिल कुमार सिंह)

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/L.T./10/2025

देहरादून दिनांक-

10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लैब टैक्नीशियन संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० स०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती शीला जोशी	लैब टैक्नीशियन	जिला कुष्ठ इकाई नैनीताल	अधीन मु०चिकि०अ० नैनीताल दुर्गम क्षेत्र	जनहित

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)

प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/पैरा/L.T./10/2025

15815

तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमौऊ मण्डल नैनीताल।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल।
- 3- जिला कुष्ठ अधिकारी नैनीताल।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल।
- 5- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 6- गार्ड फाईल।

K

(अनिल कुमार सिंह)

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/L.T./10/2025

देहरादून दिनांक-

10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लैब टैक्नीशियन संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री अनूप लोहनी	लैब टैक्नीशियन	सामु0स्वा0के0 भवाली, नैनीताल	जिला चिकि0 पिथौरागढ़	जनहित

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टप्पा)

प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/पैरा/L.T./10/2025 15817

तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमौऊ मण्डल नैनीताल।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल/पिथौरागढ़।
- 3- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकि0 पिथौरागढ़।
- 3- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल/पिथौरागढ़।
- 4- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 5- गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/L.T./10/2025

देहरादून दिनांक-

16 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लैब टैक्नीशियन संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० स०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री चन्द्र प्रकाश रावत	लैब टैक्नीशियन	सामु0स्वा0के0 मालधन चौड़ नैनीताल	उप जिला चिकि0 धारचूला पिथौरागढ़	जनहित

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)

प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/पैरा/L.T./10/2025

15819

तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमौळ मण्डल नैनीताल।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल/पिथौरागढ़।
- 3- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकि0 धारचूला, पिथौरागढ़।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल/पिथौरागढ़।
- 5- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 6- गार्ड फाईल।



(अनिल कुमार सिंह)

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/L.T./10/2025

देहरादून दिनांक-

10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लैब टैक्नीशियन संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री पुनीथ माथुर	लैब टैक्नीशियन	जिला चिकि० रुद्रपुर, उधमसिंह नगर	सामु०स्वा०के० डीडीहाट, पिथौरागढ़	जनहित

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)

प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/पैरा/L.T./10/2025

15821

तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाँऊ मण्डल नैनीताल।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उधमसिंह नगर/पिथौरागढ़।
- 3- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकि० रुद्रपुर उधमसिंह नगर।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उधमसिंह नगर/पिथौरागढ़।
- 5- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 6- गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/L.T./10/2025

देहरादून दिनांक- 18 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लैब टैक्नीशियन संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० स०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री सत्येन्द्र कुमार यादव	लैब टैक्नीशियन	टी० बी० क्लीनिक रुद्रपुर उधमसिंह नगर	टी०बी० क्लीनिक बागेश्वर	जनहित

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)

प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/पैरा/L.T./10/2025

15823

तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाँऊ मण्डल नैनीताल।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उधमसिंह नगर/बागेश्वर।
- 3- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उधमसिंह नगर/बागेश्वर।
- 4- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 5- गार्ड फाईल।

18

(अनिल कुमार सिंह)

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/L.T./10/2025

देहरादून दिनांक-

10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लैब टैक्नीशियन संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती रश्मि उनियाल	लैब टैक्नीशियन	राज्य क्षयरोग प्रशिक्षण केन्द्र चन्दर नगर, देहरादून	सामु0स्वा0के0 बडकोट, उत्तरकाशी	जनहित

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रमार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)

प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/पैरा/L.T./10/2025

15825

तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून/उत्तरकाशी।
- 3- राज्य क्षय नियंत्रक अधिकारी, राज्य क्षयरोग प्रशिक्षण केन्द्र, चन्दर नगर, देहरादून।
- 4- आहरण वितरण अधिकारी, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय देहरादून।
- 5- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/उत्तरकाशी।
- 6- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 7- गार्ड फाईल।

N

(अनिल कुमार सिंह)

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/L.T./10/2025

देहरादून दिनांक-

10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लैब टैक्नीशियन संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० स०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री दिगम्बर सिंह ज्याला	लैब टैक्नीशियन	उप जिला चिकि० खटीमा	उप जिला चिकि० लोहाघाट चम्पावत	जनहित

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्हा)

प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/पैरा/L.T./10/2025

15827

तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाँऊ मण्डल नैनीताल।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उधमसिंह नगर/चम्पावत।
- 3- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकि० खटीमा/उप जिला चिकि० लोहाघाट चम्पावत।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उधमसिंह नगर/चम्पावत।
- 5- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 6- गार्ड फाईल।

AK

(अनिल कुमार सिंह)

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/L.T./10/2025

देहरादून दिनांक-

10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लैब टैक्नीशियन संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० स०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री सुभाष चन्द्र	लैब टैक्नीशियन	उप जिला चिकि० नरेन्द्र नगर टिहरी	सामु०स्वा०के० डुण्डा उत्तरकाशी	जनहित

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)

प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/पैरा/L.T./10/2025

15829

तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, टिहरी/उत्तरकाशी।
- 3- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकि० नरेन्द्र नगर, टिहरी।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, टिहरी/उत्तरकाशी।
- 5- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 6- गार्ड फाईल।

N

(अनिल कुमार सिंह)

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/L.T./10/2025

देहरादून दिनांक-

18 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लैब टैक्नीशियन संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० स०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री चन्द्र शेखर उप्रेती	लैब टैक्नीशियन	प्रा०स्वा०के० मोटाहल्दू, नैनीताल	उप जिला चिकि० सोमेश्वर अल्मोड़ा	जनहित

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयबाध में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)

प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/पैरा/L.T./10/2025

15831

तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमौऊ मण्डल नैनीताल।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अल्मोड़ा/नैनीताल।
- 3- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकि० सोमेश्वर अल्मोड़ा।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोड़ा/नैनीताल।
- 5- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 6- गार्ड फाईल।

AK

(अनिल कुमार सिंह)

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/L.T./10/2025

देहरादून दिनांक-

10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लैब टैक्नीशियन संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० स०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती अनुपाल	लैब टैक्नीशियन	सामु0स्वा0के0 डोईवाला देहरादून	जिला चिकि0 पौड़ी	जनहित

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)

प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/पैरा/L.T./10/2025

15833

तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून/पौड़ी।
- 3- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकि0 पौड़ी।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/पौड़ी।
- 5- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 6- गार्ड फाईल।

M

(अनिल कुमार सिंह)

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/L.T./10/2025

देहरादून दिनांक-

10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लैब टैक्नीशियन संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० स०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री अरविन्द तोपाल	लैब टैक्नीशियन	उप जिला चिकि० ऋषिकेश देहरादून	अधीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी टिहरी दुर्गम क्षेत्र	जनहित

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)

प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/पैरा/L.T./10/2025

15835

तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून/टिहरी।
- 3- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकि० ऋषिकेश, देहरादून।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/टिहरी।
- 5- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 6- गार्ड फाईल।

11

(अनिल कुमार सिंह)

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/L.T./10/2025

देहरादून दिनांक-

10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लैब टैक्नीशियन संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० स०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री भानु प्रकाश बहुगुणा	लैब टैक्नीशियन	उप जिला चिकि० विकासनगर देहरादून	अधीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी पौड़ी दुर्गम क्षेत्र	जनहित

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)

प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/पैरा/L.T./10/2025

15837

तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून/पौड़ी।
- 3- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकि० विकासनगर, देहरादून।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/पौड़ी।
- 5- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 6- गार्ड फाईल।

AK

(अनिल कुमार सिंह)

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/L.T./10/2025

देहरादून दिनांक-

18 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लैब टैक्नीशियन संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० स०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती रेनुका वरुण	लैब टैक्नीशियन	सामु0स्वा0के0 कालादूंगी, नैनीताल	जिला चिकि0 चम्पावत	जनहित

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)

प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/पैरा/L.T./10/2025

15839

तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल/चम्पावत।
- 3- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकि0 चम्पावत।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल/चम्पावत।
- 5- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 6- गार्ड फाईल।

K

(अनिल कुमार सिंह)

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/L.T./10/2025

देहरादून दिनांक-

10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लैब टैक्नीशियन संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री महेश बतखेती	लैब टैक्नीशियन	बेस चिकि० हल्द्वानी, नैनीताल	जिला चिकि० पिथौरागढ़	जनहित

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)

प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/पैरा/L.T./10/2025 15841

तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुर्माऊ मण्डल नैनीताल।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल/पिथौरागढ़।
- 3- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकि० पिथौरागढ़/बेस चिकि० हल्द्वानी, नैनीताल।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल/पिथौरागढ़।
- 5- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 6- गार्ड फाईल।

11

(अनिल कुमार सिंह)

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/L.T./10/2025

देहरादून दिनांक-

10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लैब टैक्नीशियन संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० स०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री नरेश सिंह चौहान	लैब टैक्नीशियन	बेस चिकि० हल्द्वानी, नैनीताल	सामु०स्वा०के० द्वाराहाट, अल्मोड़ा	जनहित

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)

प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/पैरा/L.T./10/2025

15843

तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाँऊ मण्डल नैनीताल।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल/अल्मोड़ा।
- 3- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, बेस चिकि० हल्द्वानी, नैनीताल।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल/अल्मोड़ा।
- 5- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 6- गार्ड फाईल।

AK

(अनिल कुमार सिंह)

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/L.T./10/2025

देहरादून दिनांक-

10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लैब टैक्नीशियन संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० स०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती केना तिवारी	लैब टैक्नीशियन	बेस चिकि० हल्द्वानी, नैनीताल	जिला चिकि० बागेश्वर	जनहित

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टप्पा)

प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/पैरा/L.T./10/2025

15845

तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल/बागेश्वर।
- 3- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, बेस चिकि० हल्द्वानी, नैनीताल/जिला चिकि० बागेश्वर।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल/बागेश्वर।
- 5- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 6- गार्ड फाईल।

N

(अनिल कुमार सिंह)

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-08 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लैब टैक्नीशियन संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० स०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री बलबीर सिंह	लैब टैक्नीशियन	जिला चिकि० रुद्रप्रयाग	टी०बी० क्लीनिक देहरादून	जनहित

- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की रिधति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/पैरा/L.T./10/2025 15841 तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रुद्रप्रयाग/देहरादून।
- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकि० रुद्रप्रयाग।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, रुद्रप्रयाग/देहरादून।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/L.T./10/2025

देहरादून दिनांक-

10 जून, 2025

-आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/xxxvi(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/xxx-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/xxx (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/xxx (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लैब टैक्नीशियन संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० स०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री कल्पेश्वर मिश्रा	लैब टैक्नीशियन	सानु० स्वा० के० कोट, पौड़ी	उप जिला चिकि० कोटद्वार पौड़ी।	जनहित

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सन्नी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जाये। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)

प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/पैरा/L.T./10/2025

15849

तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पौड़ी।
- 3- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकि० कोटद्वार पौड़ी।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पौड़ी।
- 5- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 6- गार्ड फाईल।

N

(अनिल कुमार सिंह)

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/L.T./10/2025

देहरादून दिनांक-

18 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लैब टैक्नीशियन संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० स०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री आनन्द सिंह बिष्ट	लैब टैक्नीशियन	सामु० स्वा० के० लमगडा अल्मोडा।	उप जिला चिकि० रामनगर नैनीताल।	जनहित

- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जाये। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध, कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)

प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/पैरा/L.T./10/2025

15851

तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अल्मोडा/नैनीताल।
- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकि० रामनगर नैनीताल।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोडा/नैनीताल।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(Handwritten Signature)

(अनिल कुमार सिंह)

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
पत्र संख्या-3प/पैरा/L.T./10/2025 देहरादून दिनांक- 10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लैब टैक्नीशियन संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री गणेश दत्त	लैब टैक्नीशियन	सामु0 स्वा0 के0 द्वाराहाट, अल्मोडा।	जिला चिकि0 नैनीताल।	जनहित

- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/पैरा/L.T./10/2025

15853

तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अल्मोडा/नैनीताल।
- प्रमुख/मुख्य चिकि0अधीक्षक जिला चिकि0 नैनीताल।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोडा/नैनीताल।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।


(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/L.T./10/2025

देहरादून दिनांक-

10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/xxxvi(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/xxx-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/xxx (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/xxx (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लैब टैक्नीशियन संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० स०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री देवेन्द्र दोसाद	लैब टैक्नीशियन	जिला चिकि० बागेश्वर।	सामु०स्वा०के० बैजनाथ, बागेश्वर।	जनहित

- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)

प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/पैरा/L.T./10/2025

15855

तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बागेश्वर।
- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकि० बागेश्वर।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, बागेश्वर।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

M

(अनिल कुमार सिंह)

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/L.T./10/2025

देहरादून दिनांक-

10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लैब टैक्नीशियन संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० स०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री आशुतोष धपोला	लैब टैक्नीशियन	टी०बी० क्लीनिक बागेश्वर।	जिला चिकि० रुद्रपुर।	जनहित

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)

प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/पैरा/L.T./10/2025

15857

तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बागेश्वर/ऊधमसिंह नगर
- 3- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकि० रुद्रपुर।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, बागेश्वर/रुद्रपुर।
- 5- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 6- गार्ड फाईल।

N

(अनिल कुमार सिंह)

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/L.T./10/2025

देहरादून दिनांक-

10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लैब टैक्नीशियन संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० स०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री किशोर सिंह रीतेला	लैब टैक्नीशियन	उप जिला चिकि० रानीखेत अल्मोडा।	जिला चिकि० नैनीताल।	जनहित

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र समी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)

प्रमारी महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/पैरा/L.T./10/2025 15859 तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाऊ मण्डल नैनीताल।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अल्मोडा/नैनीताल।
- 3- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकि० रानीखेत, अल्मोडा/जिला चिकि० नैनीताल।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोडा/नैनीताल।
- 5- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 6- गार्ड फाईल।

AK-

(अनिल कुमार सिंह)

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/L.T./10/2025

देहरादून दिनांक-

10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लैब टैक्नीशियन संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० स०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री अजय सिंह महरा	लैब टैक्नीशियन	उप जिला चिकि० रानीखेत अल्मोडा।	उप जिला चिकि० कोटद्वार पौड़ी।	जनहित

- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)

प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/पैरा/L.T./10/2025 1586/ तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाऊँ मण्डल नैनीताल/गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अल्मोडा/पौड़ी।
- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकि० रानीखेत अल्मोडा/उप जिला चिकि०कोटद्वार पौड़ी।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोडा/पौड़ी।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

N

(अनिल कुमार सिंह)

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/L.T./10/2025

देहरादून दिनांक-

10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लैब टैक्नीशियन संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री विशाल सिंह	लैब टैक्नीशियन	प्रा0स्वा0के0 फकोट, टिहरी।	सामु0स्वा0के0 मंगलौर हरिद्वार।	जनहित

- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जाये। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/पैरा/L.T./10/2025 15863 तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, टिहरी/हरिद्वार।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, टिहरी/हरिद्वार।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

AK

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/L.T./10/2025

देहरादून दिनांक-

10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लैब टैक्नीशियन संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० स०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री प्रमोद सिंह चौहान	लैब टैक्नीशियन	सामु0स्वा0के0 बैलेश्वर, टिहरी	सामु0स्वा0के0 लक्सर, हरिद्वार।	जनहित

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)

प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/पैरा/L.T./10/2025

15865

तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, टिहरी/हरिद्वार।
- 3- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, टिहरी/हरिद्वार।
- 4- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 5- गार्ड फाईल।

N

(अनिल कुमार सिंह)

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/L.T./10/2025

देहरादून दिनांक-

10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लैब टैक्नीशियन संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० स०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री नरेन्द्र भट्ट	लैब टैक्नीशियन	सामु0स्वा0के0 छाम, टिहरी	जिला चिकि0 हरिद्वार।	जनहित

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पत्रिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)

प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/पैरा/L.T./10/2025

15867

तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, टिहरी/हरिद्वार।
- 3- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकि0 हरिद्वार।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, टिहरी/हरिद्वार।
- 5- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 6- गार्ड फाईल।

N

(अनिल कुमार सिंह)

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
पत्र संख्या-3प/पैरा/L.T./10/2025 देहरादून दिनांक- 10 जून, 2025

—:आदेश:—

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लैब टैक्नीशियन संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० स०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री सुनील बिष्ट	लैब टैक्नीशियन	जिला क्षय नियंत्रण केन्द्र रुद्रप्रयाग।	उप जिला चिकि० नरेन्द्र नगर टिहरी।	जनहित

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/पैरा/L.T./10/2025 15869 तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रुद्रप्रयाग/टिहरी
- 3- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला क्षय नियंत्रण अधिकारी रुद्रप्रयाग/ उप जिला चिकि० नरेन्द्र नगर टिहरी।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, रुद्रप्रयाग/टिहरी।
- 5- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 6- गार्ड फाईल।


(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/L.T./10/2025

देहरादून दिनांक-

10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लैब टैक्नीशियन संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० स०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री प्रदीप सिंह रावत	लैब टैक्नीशियन	प्रा०स्वा०के० डाडामण्डी, पौड़ी।	उप जिला चिकि० कोटद्वार, पौड़ी।	जनहित

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का देतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)

प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/पैरा/L.T./10/2025 15871

तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पौड़ी।
- 3- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकि० कोटद्वार पौड़ी।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पौड़ी।
- 5- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 6- गार्ड फाईल।

M

(अनिल कुमार सिंह)

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/L.T./10/2025

देहरादून दिनांक-

10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लैब टैक्नीशियन संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० स०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री नितिन शर्मा	लैब टैक्नीशियन	जिला चिकि० उत्तरकाशी।	सामु०स्वा०के० यमकेश्वर, पौड़ी।	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)

प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/पैरा/L.T./10/2025

15873

तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तरकाशी/ पौड़ी।
- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकि० उत्तरकाशी।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरकाशी/ पौड़ी।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

AK

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/L.T./10/2025

देहरादून दिनांक-

10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लैब टैक्नीशियन संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० स०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री ललित मोहन	लैब टैक्नीशियन	उप जिला चिकि० मसूरी, देहरादून।	सामु०स्वा०के० रायपुर देहरादून।	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सही सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)

प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/पैरा/L.T./10/2025

15875

तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून।
- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकि० मसूरी देहरादून।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

M

(अनिल कुमार सिंह)

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/L.T./10/2025

देहरादून दिनांक-

10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लैब टैक्नीशियन संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० स०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री राजेश कुमार जगूडी।	लैब टैक्नीशियन	जिला चिकि० पौड़ी।	जिला चिकि० उत्तरकाशी।	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पत्रिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)

प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/पैरा/L.T./10/2025

15877

तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पौड़ी/उत्तरकाशी।
- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकि० पौड़ी/जिला चिकि० उत्तरकाशी।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पौड़ी/उत्तरकाशी।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

NK

(अनिल कुमार सिंह)

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)